न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)
पीठासीन अधिकारी श्री संदीप चौधरी (आर.ए.एस.)

मु.न.– 22 /2024
प्रेमराम पुत्र अर्जनराम जाति मेघवाल निवासी जिगसाना ताल तहसील तारानगर जिला चूरू। – प्रार्थी –

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) तारानगर। – अप्रार्थी –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट आर.टी.एक्ट. दिनांक 24/01/24

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना मय शपथ पत्र में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी के पिता के नाम कृषि भूमि रोही जिगसाना ताल तहसील तारानगर के खसरा सं 627/625 तादादी 03.3889 हेक्टेयर हैं। जिसमें प्रार्थी का नाम व पिता का नाम प्रेमा पुत्र अर्जन अंकित है। जो गलत है, जबकि प्रार्थी का नाम पिता का नाम प्रेमराम पुत्र अर्जनराम सही हैं। प्रार्थी के पिता के आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधारकार्ड था अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम व पिता का नाम प्रेमराम पुत्र अर्जनराम है। नाम में भिन्नता होने के रण प्रार्थी को कृषि ऋण, फसल बेचान आदि में काफी परेशानी का सामना करना पडता है। अब प्रार्थी बन्दी में अपना पिता का नाम दुरूस्त करवाना चाहता है। जमाबन्दी में अपना पिता का नाम दुरूस्त वाने के लिए प्रार्थी ने तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया था। परन्तु तहसीलदार ने बिना किसी ालय के आदेश के नाम दुरूस्त करने से इंकार कर दिया। इसलिए श्रीमानजी के समक्ष प्रार्थना प्रत्र कर रहा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कृषि भूमि रोही जिगसाना ताल तहसील तारानगर ख़सरा सं 627/625 तादादी 03.3889 हेक्टेयर में प्रार्थी का नाम व पिता का नाम प्रेमराम पुत्र अर्जनराम जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थना पत्र में आई पूर्व में प्राप्त रिपोर्ट पटवार हल्का झाड़सर ालान के अनुसार प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना पिता का नाम दुरूस्त करवाना चाहता है। अब प्रार्थी पिता के आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधारकार्ड, शपथ पत्र व अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी ाम व पिता का नाम प्रेमा पुत्र अर्जन की जगह प्रेमराम पुत्र अर्जनराम करवाना चाहता है। आज दिनांक राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का प्रेमा पुत्र अर्जन ही दर्ज है। अतः प्रार्थी का प्रेमा पुत्र अर्जन की जगह म पुत्र अर्जनराम दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाना उचित होगा।

पत्रावली का अवलोकन किया गया पटवार हल्का जिगसाना ताल की रिपोर्ट प्रार्थी के प्रार्थना पत्र ष्टि होती है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही जिगसाना ताल तहसील ार के ख्खसरा सं 627/625 तादादी 03.3889 हेक्टेयर के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रविष्टि प्रार्थी प्रेमा र्जन के स्थान पर प्रेमराम पुत्र अर्जनराम अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाने का आदेश जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई इस विचार न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय निर्णय है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 24/01/24 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सन्दीप चौधरी आर.ए.एस.)
पीठासीन अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)